निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :179'/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

धापू देवी धर्मपत्नी श्री हरनाथ जाति जाट निवासी ग्राम रेनवाल माजी, तहसील फागी, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेश कुमार मीना आर॰ए॰एस॰ उप खण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण ।
2. बाबूलाल पुत्र स्व॰श्री रामचन्द्र
3. रामेश्वर पुत्र स्व॰श्री रामचन्द्र
4. प्रभू देवी पुत्री स्व॰श्री रामचन्द्र
5. प्रेम देवी पुत्री स्व॰श्री रामचन्द्र

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम रेनवाल माजी, तहसील फागी, जिला जयपुर ग्रामीण।

, अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 198/2023 ब उनवानी धापू बनाम रामचन्द्र व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री हेमराज भदाला अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सीताराम कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 व 5 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 08.10.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 198/2023 ब उनवानी धापू बनाम रामचन्द्र व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3 4 व 5 की ओर से वकील श्री सीताराम कुमावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 24.04.2024 को प्रार्थिया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित हुई तब अप्रार्थी बाबूलाल व अन्य व उनके वकील ने प्रार्थिया से जिरह करते हुये कहा कि तुम्हारी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो चुकी है अब तुम्हे जमीन जायदाद से क्या लेना देना है। तभी पीठासीन अधिकारी ने भी कहा कि आपको आपस में राजीनामा कर लेना चाहिये । क्योंकि अब आप बुजर्ग हो चुके हो अनावश्यक इन मुकदमों में परेशान क्यों होते हो। मैं प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 को पावन्द कर दूंगा कि जब तक आप जीवित रहो, आपकी अच्छे से सेवा शुश्रषा करते रहे और यह वाद वापस ले लो जिससे प्रार्थिया को प्रतीत हुआ कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के पक्ष में सद्भावना रखते है। दिनांक 21.08.2024 को प्रार्थिया अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में पहुंची तो अप्रार्थी बाबूलाल पहले से ही पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठा था कुछ समय बाद बाहर आते समय उसने धमकी भरे लहजे में प्रार्थिया से कहा कि हमारी एस डी ओ साहब से बात हो चुकी है,एस डी ओ साहब आगामी तारीख पेशी पर दावे को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के हक में निस्तारित कर देंगे। प्रार्थिया ने एस डी ओ साहब से सम्पर्क कर प्रकरण के बारे में जानकारी चाही तो एस डी ओ साहब ने भी प्रार्थी को धमकाते हुये कहा कि तुमने बिना वजह अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए दावा पेश कर रखा है वह खारिज किये जाने योग्य है जिसे मैं जल्दी ही खारिज कर दूंगा। अप्रार्थी संख्या 2 की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थिया आश्चर्यचकित हो गई कि यह कैसे हुआ ? अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1से मिल गया है तो फिर प्रार्थिया को न्याय प्राप्त होना असम्भव है । इस प्रकार प्रार्थिया को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है । ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायलाय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 व 5 के अधिवक्ता ने दलील पेश की कि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के पीठासीन अधिकारी से प्रकरण में न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

8. उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 198/203 ब उनवानी धापू बनाम रामचन्द्र व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी में अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 11.11.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी एवं उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner